राजस्व प्रकरण क्र R-4338/16
पेशी दि. 18/1/17

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

विविध 902/PBR/17

रेखा सोनी — आवेदिका/निगरानीकर्ता

श्री रत्नेश गुप्ता एडवोकेट द्वारा 18.1.17 को प्रस्तुत

विरुद्ध

प्रमोद आदि — अनावेदक गण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू-राजस्व अनुपस्थिति की माफी दिये जाने बाबद

21/2/17 आवेदक की ओर से निवेदन है कि

(1) यह कि सदर प्रकरण में आज पेशी दिनांक नियत थी आवेदिका अभिभाषक रत्नेश गुप्ता पैरवी हेतु नियत समय पर उपस्थित नहीं हो सके कारण कि अचानक से कुछ अस्वस्थ हो गये थे माननीय न्यायालय की समय दोपहर 2:00 बजे दिन में उपस्थित हुये तो बाबू द्वारा बताया गया कि आप समय पर नहीं आ पाये इस कारण आज प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया तत्पश्चात अभिभाषक सदर आवेदन पत्र पर्याप्त कारण सहित सद्भावना पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे प्राथमिक में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अनुपस्थिति की माफी दी जावे।

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आज दि. 18/1/17 का आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिकार्ड पर लिये जाने हेतु सुनवाई हेतु नियत किये जाने की कृपा करें। यही विनय है।

इन्दौर
दिनांक 18/1/17

प्रार्थी
आवेदिका अभिभाषक
Ratnesh
रत्नेश गुप्ता एड
मो.नं. 94250-9072

विविध 9026-P.A./17 (उंदैर)

21.2.2017	प्रस्तुतकार आवेदक की ओर से श्री रमेश गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान कारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	21-2-17

शासेमुम्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.